

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]  
No. 200]दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2013/पौष 6, 1935  
DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2013/PAUSA 6, 1935[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 206  
[ N.C.T.D. No. 206

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

आदेश

दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

संख्या एफ/डी.ई./15 (1031) अधिनियम/2013/2096-3007.—दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) के नियम 43 सहपठित दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निजी मान्यताप्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) आदेश, 2007, यथासंशोधित, में निम्न संशोधन करते हैं :—

## 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ —

(1) इन नियमों को निजी मान्यताप्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

## 2. निजी मान्यताप्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) आदेश, 2007, यथा संशोधित, में, -

(क) उप-खण्ड 14 (ख) में,-

(i) उप-खण्ड (ii) में, शब्द 'बच्चों' के पश्चात् निम्न शब्दों व कोष्ठकों को जोड़ा जाता है,-

" (प्रपौत्र/प्रपौत्री भी सम्मिलित)";

(ii) उप-खण्ड (iii) में, अंक '6' के स्थान पर अंक '8' स्थानांतरित किया जाता है;

(iii) उप-खण्ड (iv) में, तालिका के कॉलम संख्या 2 जो कि क्रम संख्या 1 के विपरीत है, में अंक '6' के स्थान पर अंक '8' स्थानांतरित किया जाता है;

(ख) उप-खण्ड 14(ड) में, अंक '6' के स्थान पर अंक '8' स्थानांतरित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. मधु रानी तेवतिया, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

**DIRECTORATE OF EDUCATION****ORDER**

Delhi, the 27th December, 2013

**No. F/DE/15/1031/ACT/2013/2096—3007.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following order to further amend the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-Primary Class) Order, 2007 as amended up to date, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-Primary Classes) (Second Amendment) Order, 2013.  
(2) It shall come into force with immediate effect.
2. In the Recognized Schools (Admission Procedure for Pre-Primary Class) Order, 2007 as amended up to date,—
  - (a) in clause 14 (b),—
    - (i) in sub-clause (ii), after the word "wards", the following words and brackets shall be inserted,—  
"(shall include grand children also)";
    - (ii) in sub-clause (iii), for the number "6", the number "8" shall be substituted;
    - (iii) in sub-clause (iv), in the Table, in column No. 2 against serial No. 1, for the number "6", the number "8" shall be substituted;
  - (b) in clause 14 (e), for the number "6", the number "8" shall be substituted.

By Order and in the name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
Dr. MADHU RANI TEOTIA, Addl. Secy. (Education)